

प्रस्ताव

विद्यया प्रज्ञा युवा  
सर्वेभ्यो विद्यायां  
विद्या प्रज्ञा युवा

संख्या में

राज्य  
शिक्षण, माध्यमिक शिक्षा विभाग  
विद्यया प्रज्ञा युवा  
शिक्षण विभाग, नई दिल्ली

विभाग 171 अनुभाग

लच्छक: दिनांक: 01 जुलाई 2004

विभाग :-

माध्यमिक शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के अधीन आने वाले विद्यालयों की संख्या में वृद्धि के लिए आवश्यक प्रयास करने के लिए

संदर्भ,

उपरोक्त विषय को और आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि उक्त संदर्भित विद्यालयों को नई दिल्ली के अधीन आने वाले विद्यालयों के लिए आवश्यक प्रयास करने के लिए आवश्यक है:-

- 1.11 विद्यालय की संजीवित सौकरणीयता का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायगा।
- 1.21 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 1.31 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के अधीन बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संगठित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 1.41 संस्था द्वारा राज्य सरकार से निस्सी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वास्तविक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/की। ए. ए. ई. ए. स्कूल सर्टिफिकेट इकाई/विभाग नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त माध्यमिक शिक्षा परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने के विधि से 30% माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

- 151 संस्था शिक्षक एवं शिक्षोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतान्कित्त आ लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार से पूर्वाहिन तदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की बूकाया शिथिलता दरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनोपार्जित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भद्रीय,

श्री प्रकाश प्रकाश  
संयुक्त सचिव

पुसंख्या एवं दिनांक तदैव


प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्राप्ति :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **मुआमम** ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **बिजनौर** ।
- 4- निरीक्षक, जंगल भारतीय विद्यालय 30प्र0, लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, **मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, नरपुर, बिजनौर** ।
- 6- गार्ड बुक ।

  
PRINCIPAL  
R. R. Public School  
Seohara Road, Noorpur (Bijnor)



आज्ञा  
  
श्री प्रकाश प्रकाश  
संयुक्त सचिव  
दीपगुप्ता  
MANAGER  
R. R. PUBLIC SCHOOL  
Noorpur (Bijnor) U. P.